**प्रेषक,**

**आनन्द कुमार त्रिपाठी,**
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**कुलसचिव,**
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4** **लखनऊ :दिनॉक 16 मार्च, 2024**

**विषय-:**वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल कालेज, सैफई (नर्सिंग भवन) में रैम्प के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3068/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अनु0/86/सिविल/2023-24 दिनांक 29.11.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल कालेज, सैफई (नर्सिंग भवन) में रैम्प के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 13.20 लाख को प्रेषित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**2-** उल्लेखनीय है कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत रू0 5.00 करोड़ तक की योजनाओ/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एंव औचित्य के परीक्षण हेतु गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 12.03.2024 द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 12.48 लाख की संस्तुति की गयी है।

**3-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल कालेज, सैफई (नर्सिंग भवन) में रैम्प के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 12.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा शीषर्क 4210-03-105-08-00 रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सैफई, इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य की सम्पूर्ण धनराशि रू0 12.48 लाख (रू0 बारह लाख अड़तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है-:

**<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>**

1. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है। आगणन में प्राविधानित वे मदें, जो डी0एस0आर0 में निहित है, का परीक्षण कर किया गया है। ऐसी मदें जो बाजार दरों पर आधारित है उनके सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्य सम्पादित कराया जाए।
2. आगणन 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
3. आगणन में 10 प्रतिशत सेंटेज का प्रावधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
4. कार्यो में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
5. आगणन में विभागीय दक्षता हेतु 05 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
6. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
7. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।
9. कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 (यथासंशोधित) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,48,000 ( रुपये बारह लाख अड़तालीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050800 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च सैफई, इटावा में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5- यह आदेश वित्त (आय - अनुभाग ( व्ययक -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(**आनन्द कुमार त्रिपाठी**)
उप सचिव।

**संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।**
**प्रतिलिपि,** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4. वित्त् अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6. इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण लि0 सोडिक इकाई-2, इटावा।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (अय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटेमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**आनन्द कुमार त्रिपाठी**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।